

**कार्यालय**  
**संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3517

लखनऊ दिनांक: 08/08/2021

**कार्यालय भाष:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी कउउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विधेयक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंती पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2154-SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY, BHUDA MAINARI POWAYAN, SHAHJAHANPUR**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०-आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं अधिसूचों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जीन पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्य किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश्य प्रकाशों होंगे, और उदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की गती-क्रम पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30 प्रो प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/ विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिमित्री-अधिमित्री-समान-अदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ टिपलोगा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बुरा दापर किया जाऊ है तथा दापर बुरा के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ टिपलोगा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीन-पठ्य-असंरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रतिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेडिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाऊ है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्त ए०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाऊ है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता खतों का अनुपालन न किये जाने अथवा खतों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियतानुसार अनुसन्धानत्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दूरसं०- प्राथमि/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठित:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY, BHUDA MAINARI POWAYAN, SHAHJAHANPUR

  
(सुनील कुमार सिंगर)

सचिव

**कार्यालय,  
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद संशोध सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022

**:-कार्यालय भाष:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी कौशल-निर्देश ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्लीमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30-08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अन्तुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता पर सहाय्य पीपीओ-आईओ द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीपीओ-आईओ के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2022-PCIAppeoval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों व्रम में प्रस्ताव संस्थाओं से पूर्व में इतित कमियों के निराकरण का विवरण एचओआईओएफओ पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर समय पर दस्तिलत करने के लिए गए निर्देशों के अनुकूलन में इन अमितेयों के साथ-साथ समय पत्र लेकर बदल की नई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता टुल शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एचओआईओएफओ का सम्मान कराना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2154-SHR RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पीपीओ-आईओ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एओ-आईओसीओपीओपीओआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासन-देशों का अनुकूलन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इपीओ पाठ्यक्रमों हेतु ₹-0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹-0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र-छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाचन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-देश प्रभवी होंगे, और अनुसूचक कार्यावली किया जाना आवश्यक होगा। पौस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पौस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पौस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-देशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनयमों/अधिनियमों/शासन-देशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, शर्तों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर काद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यकरी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, सहायता शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त काठाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग दोराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिकतम स्पीयर निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिकशिक्षा संघीय सम्बद्धता(0522)18771-11938

15/12/2022

प्राथमिक-  
प्रधानाचार्यनिदेशक SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव

**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या - प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001**

**लखनऊ दिनांक 12-09-2023**

**:-कार्यालय बाब:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण से संबद्धित डिप्लोमा इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विद्यमान प्रदान करने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विद्यमान प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में समस्त दिनांक 29-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक संयुक्त हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रदात अनुमोदन विद्यमान एवं सम्बद्धता समिती द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता विद्यमान प्रदान करने का निर्णय लिए गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विद्यमान प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटी/एईई/एईईए/आईआईटी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश लखन के पत्र संख्या 31/18/30099/2023 दिनांक-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्ण से संबद्धित संस्था संस्थानों की शर्त के विरुद्ध कानूनन नकारना में बंधित हिए अधिक संख्या 5021/2023 में कानूनन नकारना के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निरस्त की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली के सम्बन्ध में अनुक्रम संख्या में समस्त संस्थान (यूनि, मानव, वैन उपकरण) बंधित उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एम/ 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनों 1982, विनियमनों-2000, कोषावर विनियमनों-2014 तथा समस्त-संस्था पर निर्दिष्ट कार्यवाही का अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रतिक लागू लागू से उत्तर लिये करेगा। उपरोक्त के प्राविधिक कार्यवाही से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-संस्था पर लागू हुए निर्दिष्ट करने वाले कार्यवाही प्रभावी होंगे, और अनुमोदन कार्यवाही किया जाए नकारना होगा। प्रवेश निर्धारण समिती द्वारा पत्र सं 2023-24 हेतु पूर्ण का पूर्णतःपालन किया जाए है, जो शर्त की नवीनयन पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त-संस्था पर निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुक्रम निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क तथा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश लखन द्वारा निर्दिष्ट विनियमनों-आईआईटी/एईईए/आईआईटी/आईआईटी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बताने गये निर्णय, विनियमों, शर्तों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाए है तो इस संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का हस्त- और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था समस्त उत्तराधिकार होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखन के विरुद्ध यदि कोई कार्य प्रदात किया जाए है तथा प्रदात कार्य के संस्था में न, नकारना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था अवेरस निरस्त किया जाए है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को बननी होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रतिक रूप के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्ण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजियर, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना

होना अथवा उन्हें सेवा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

- ✓ उक्त सेवा प्रदान करने हेतु सहा-सहा पर निर्भर स्वीकृत अथवा निर्णय का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सेवा की जाने केबाद उक्त प्रौद्योगिक शिक्षा के सुव्यवस्थापन या सेवा की समस्त सुव्यवस्था जैसे सेवा की प्रौद्योगिक पूर्ण भूमि, भवन, सामान, उपकरण, प्रत्येक किताब को सहा सुलभ, उपकरण सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ सेवा की शिक्षण-प्रक्रिया हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही सेवा देने के समय में समस्त आवश्यक सामान सुरक्षित करने होंगे।
- ✓ सेवा यह सुनिश्चित हो कि सेवा में परामर्शदाता/सहायक परामर्शदाता को बताने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराए गये अधिसूचना, भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि सेवा हेतु किसी अन्य परामर्शदाता के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सेवा उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त सेवा की सम्बद्ध समस्त किताबों को सुरक्षित रखी जाएगी।
- ✓ उक्त सेवा प्रौद्योगिक शिक्षा (सिनेटिवा) और (एनसीईआरटी, बीएचए) का सम्बद्ध विवरण (सहा) दिनांक 2000 के प्रौद्योगिक-सुव्यवस्था परिषद की सेवा पर जारी कर-सूची, भवन और फर्निचर को परिषद को परिसर के संस्थान के लिए परिषद के अधिसूचना में रखेंगे।
- ✓ सेवा के दौरान समस्त निर्देशन के दौरान यदि सेवा में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सामान-सम्बन्धित-संबन्धित-संबन्धित-संबन्धित के समस्तसुव्यवस्था उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो सेवा की सम्बद्ध समस्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्ध कार्य का अनुपालन न करने वाले अथवा कार्य का उपलब्ध करने वाले की लिस्ट में निम्न-सुव्यवस्था अनुपालन-सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी।



(अधीनस्थ कुमारा मिश्र)

सचिव

पुस्तक- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2023/1209-0002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक: SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(अधीनस्थ कुमारा मिश्र)

सचिव